

शहरी नवीकरण प्राधिकरण गैर-घरेलू सम्पत्ति के मालिक

मालिक स्वयं निवास
करता हो (OO)

अधिग्रहण क्षतिपूर्ति **स्मार्ट टिप्स**

अधिग्रहण प्रस्ताव



+



+



35% MV अथवा संपत्ति के अनुमानित
वार्षिक किराये का 4 गुना*

* जो भी अधिकतम हो

व्यवसाय संचालन के
प्रत्येक वर्ष के लिए संपत्ति
के अनुमानित वार्षिक
किराये का 10%
(अधिकतम 30 वर्ष)
न्यूनतम HK\$110,000
(10 वर्ष या उससे कम) से
अधिकतम HK\$700,000

अथवा

**एक विकल्प के रूप में व्यापार हानि का दावा
उक्त दो भत्तों के अलावा**



स्थिर सर्वेक्षण (FS) के बाद किरायेदार को बेदखल न करें
FS की तिथि पर किराये पर दी हुई या खाली संपत्ति OO संपत्ति के
रूप में नहीं मानी जाएगी, भले ही FS के बाद मालिक अपनी संपत्ति
स्वयं उपयोग करता है

FS की तिथि के बाद मालिक ने अपनी संपत्ति खरीदी: URA
नए मालिक को कोई भी भत्ता नहीं देगा

यह पत्रक केवल सामान्य संदर्भ के उद्देश्य से जारी किया गया है। अधिग्रहण की शर्तें उस समय के शहरी नवीकरण प्राधिकरण के सिद्धांतों
और कार्यप्रणाली के अनुसार होंगी, जब अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया जाता है (अप्रैल 2020 संस्करण)

अधिग्रहण प्रक्रियाएं

1



स्थिर सर्वेक्षण (FS)

2



सरकार की अनुमति

3



URA ने मालिकों को अधिग्रहण का प्रस्ताव
जारी किया

FS की तिथि पर संपत्ति के बिक्री योग्य क्षेत्र और अधिभोग की स्थिति के
आधार पर

4



मालिक ने अधिग्रहण प्रस्ताव स्वीकार कर
लिया

5



बिक्री और खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर
करना और प्रारंभिक भुगतान प्राप्त करना

6



विक्रय-पत्र का निष्पादन और शेष भुगतान
प्राप्त हुआ

यदि आवश्यक हो तो OO मालिक लाइसेंस वापस व्यवस्था के लिए
आवेदन कर सकता है

पूछ-ताछ

Mong Kok Office

9/F, Tower I, Grand Century Place,

193 Prince Edward Road West,

Mong Kok, Kowloon

Telephone : 2588 2333

Website : www.ura.org.hk



संपत्ति अधिग्रहण में शहरी
नवीकरण प्राधिकरण द्वारा
अपनाए गए सिद्धांतों से
संबंधित विवरण (औद्योगिक
संपत्तियों के अलावा)

